

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिवाना जिला बालोतरा

वादी/वादीगण सतीशकुमार पुत्र एस नवाराण जाति कुम्हार निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (4)	बनाम प्रतिवादी/प्रतिवादीगण 1. जेठाराम पुत्र जुआराराम जाति कुम्हार निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (9/2) 10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
--	--

किस्म मुकदमा.....धारा 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नंबर:-183/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22.12.2025	वादी सतीशकुमार वगैरह की ओर से वकील श्री हीराचन्द सुथार ने यह वाद पत्र प्रतिवादी जेठाराम वगैरह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 09.02.2026 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
09-02-26	पत्रावली पेश हुई। वादीगण वकील अनुपास्थित। प्रतिवादीगण 1 से 3 की ओर से वकील श्री जगपति सिंह ने कलालासाया, केहरिन्द मय दस्तावेजों तथा अर्चना पत्र अन्तर्गत आदेश न नियम 11 की प्रतीति का पेश किया, जो शामिल पत्रावली में प्रतिवादीगण 4 से 10 बावजूद खस्यत गमील के अनुपास्थित, इंगजार है। पत्रावली वादों जवाब व अर्चना पत्र तथा इंगजार प्रतिवादीगण आदेश 05-03-2026 को पेश है। सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना	
05-03-2026	पत्रावली पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण वकील अनुपास्थित। आज न्यायालय समय में वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता को एक-एक समय में हीन-हीन वार आवाज मिलवाई गई, मगर उनमें से कोई उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा वादीगण का वाद खस्यत हाजरी व अर्चना पत्रों में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल सुथार दोहर दाखिल कर दी है। सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना	

